न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल, RAS।

अपील संख्या 237/2020 जिला–दौसा।

1. रामेश्वर पुत्र चन्द्रा।
2. प्रकाश पुत्र चन्द्रा
3. मु0 प्यारी पत्नि चन्द्रा
   जाति मीना निवासी रूढमल का बास तहसील दौसाा जिला दौसा (राज0)

अपीलान्टस्

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसाा जिला दौसा।
2. तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा।

रेस्पोंडेन्टस्

अपील विरूद्ध आज्ञा उपखण्ड अधिकारी दौसा जिला दौसा दिनांक 31.01.2020 अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 28/2016

उपस्थित–

1. अधिवक्ता अपीलान्ट श्री सतीश कुमार पारीक।
2. राजकीय अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल।

निर्णय

दिनांक 14.12.2021

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी दौसा जिला दौसा के निर्णय दिनांक 31.01.2020 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 15.09.2020 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी दौसा जिला दौसा द्वारा शीर्षक प्रार्थना पत्र धारा 136 एल..आर. एक्ट रामेश्वर बनाम राजस्थान सरकार में निर्णय दिनांक 31.01.2020 पारित कर प्रार्थना पत्र धारा 136 खारीज किया गया।
3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा जिला दौसा के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.01.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.01.2020 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट् की तलवी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्टस् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम रूडमल का बास तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 4/21/4 रकबा 8 बीघा का आवंटन चन्द्रा पुत्र ग्यारसा जाति मीना को हुआ था एवं आवंटन के पश्चात चन्द्रा पुत्र ग्यारसा को गैर खातेदारी अधिकार प्रदतत किये गये एवं उसका 8 बीघा भूमि पर कब्जा करा दिया। उक्त खसरा नम्बर 4/21/4 के पूर्व खसरा नम्बर 32 रकबा 71 बीघा 9 बिस्वा थे एवं उक्त भूमि तत्समय सिवाय चक थी। हाल ही में कुछ वर्षो पूर्व दौसा में राजस्थान सरकार के द्वारा भू प्रबंध की कार्यवाही करवाई गई। भू प्रबंध विभाग के कार्यक्षेत्र में चाही से बारानी में होने वाले परिवर्तन को काकयत कर लगान कायम करने का था। भू प्रबंध विभागग को यह अधिकार को यह अधिकार नही था कि वे चन्द्रा पुत्र ग्यारसा की खातेदारी भूमि 4/21/4 रकबा 8 बीघा भूमि को कम कर देवे। लेकिन भू प्रबंध विभागग ने चन्द्रा पुत्र ग्यारसा की भूमि के जो नये खसरा नम्बर 94 रकबा 0.24 है0 व खसरा नम्बर 95 रकबा 0.01 है. कुल 0.25 है. कायम किये उसमें रकबा 2.00 है0 कायत होना चाहिये था लेकिन भू प्रबंध विभाग ने बिना किसी अधिकार के ही उक्त भूमि के रकबे को कम कर दिया। इस प्रकार चन्द्रा पुत्र ग्यारसा मीना की खातेदारी में 1.75 है0 भूमि कम कर दी गई। दिनांक 101.2016 को चन्द्रा पुत्र ग्यारसा को देहान्त हो गया एवं प्रार्थीगण उसके उत्तराधिकारी है। प्रार्थीगण व चन्द्रा पुत्र ग्यारसा उक्त 8 बीघा भूमि पर काविज रहे उसके लिये संवत 2037 च अन्य खसरा गिरदावरियां संवत 2030 से 2035 को देखा जाना जरूरी है। भू प्रबंध विभाग ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर हाल खसरा नम्बर 94 व 95 में प्रार्थीगण के भूमि के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

Scanned by CamScanner

रकबे को गलत दर्ज किया है। प्रार्थीगण 0.25 है0 के स्थान पर 8 बीघा के हिसाब से 2.00 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। खसरा नम्बर 4/21 में पूर्व के रिकार्ड में कभी भी पेटा तालाब के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकित नही रही लेकिन बाद में भू प्रबंध विभाग ने उसे गलत रूप से पेटा तालाब के रूप में दर्ज किया है। अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत पेश करने पर अधिनस्थ न्यायालय में तहसीलदार दौसा द्वारा दिनांक 17.8.2016 व दिनांक 26.09.2016 को प्रस्तुत की गई तथ्यात्मक रिपोर्ट में यह स्पष्ट अंकित किया गया कि साबिक खसरा नम्बर 4/21/4 रकबा 8 बीघा से भू प्रबंध कार्यवाहीयो के दौरान नवीन खसरा नम्बर 94 रकबा 0.24 है0, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.01 है0 किता 2 रकबा 0.25 है0 बनाया गया जो साबिक रकबे के मुकाबले 1.75 है0 भूमि कम है। इससे बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारीज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्ध एवं प्रकिया नियमो व न्याय के सिद्धांतो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। उनका कथन है कि रूढमल का बास का सैटलमेंट पूर्व चारागाह का रकबा 353 बीघा 17 बिस्वा था जिसे सेटलमेंट विभाग द्वारा सेटलमेंट के दौरान 100.37 है0 कर दिया। जबकि लगभग 88.50 है0 होना चाहिये था। इस प्रकार लगभग 11.50 है0 जो लगभग 47 बीघा चारागाह में अधिक बढा दिया जिसका सैटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नही था। अधिवक्ता अपीलांट् ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.01.2020 का है लेकिन अपीलांट् को जानकारी का अभाव के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी दिनांक 10.09.2020 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा जिला दौसा द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.01.2020 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत है एवं अपील अपीलांट सारहीन होने से खारीज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट् खारीज की जावे।

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांट् के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्ट द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। प्रकरण में मुख्य विवाद पुराने आराजी खसरा नम्बर 4/21/4 रकबा 8 बीघा वाके ग्राम रूडमल का बास तहसील दौसा जिला दौसा से संबंधित है। अपीलांटस् के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 न्यायालय उप खण्ड अधिकारी दौसा जिला दौसा के समक्ष प्रस्तुत कर ग्राम रूडमल का बास तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 4/21/4 रकबा 8 बीघा का आवंटन चन्द्रा पुत्र ग्यारसा जाति मीना को हुआ था एवं आवंटन के पश्चात चन्द्रा पुत्र ग्यारसा को गैर खातेदारी अधिकार प्रदतत किये गये एवं उसका 8 बीघा भूमि पर कब्जा करा दिया। उक्त खसरा नम्बर 4/21/4 के पूर्व खसरा नम्बर 32 रकबा 71 बीघा 9 बिस्वा थे एवं उक्त भूमि तत्समय सिवाय चक थी। हाल ही में कुछ वर्षो पूर्व दौसा में राजस्थान सरकार के द्वारा भू प्रबंध की कार्यवाही करवाई गई। भू प्रबंध विभाग के कार्यक्षेत्र में चाही से बारानी में होने वाले परिवर्तन को कायम कर लगान कायम करने का था। भू प्रबंध विभागग को यह अधिकार को यह अधिकार नही था कि वे चन्द्रा पुत्र ग्यारसा की खातेदारी भूमि 4/21/4 रकबा 8 बीघा भूमि को कम कर देवे। लेकिन भू प्रबंध विभाग ने चन्द्रा पुत्र ग्यारसा की भूमि के जो नये खसरा नम्बर 94 रकबा 0.24 है0 व खसरा नम्बर 95 रकबा 0.01 है. कुल 0.25 है. कायम किये उसमें रकबा 2.00 है0 कायम होना चाहिये था लेकिन भू प्रबंध विभाग ने बिना किसी अधिकार के ही उक्त भूमि के रकबे को कम कर दिया। इस प्रकार चन्द्रा पुत्र ग्यारसा मीना की खातेदारी में 1.75 है0 भूमि कम कर दी गई। दिनांक 101.2016 को चन्द्रा पुत्र ग्यारसा को देहान्त हो गया एवं प्रार्थीगण उसके उत्तराधिकारी है। प्रार्थीगण व चन्द्रा पुत्र ग्यारसा उक्त 8 बीघा भूमि पर काबिज रहे उसके लिये संवत 2037 च अन्य खसरा

Scanned by CamScanner

गिरदावरियां संवत 2030 से 2035 को देखा जाना जरूरी है। भू प्रबंध विभाग ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर हाल खसरा नम्बर 94 व 95 में प्रार्थीगण के भूमि के रकबे को गलत दर्ज किया है। प्रार्थीगण 0.25 है0 के स्थान पर 8 बीघा के हिसाब से 2.00 है0 भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है। खसरा नम्बर 4/21 में पूर्व के रिकार्ड में कभी भी पेटा तालाब के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकित नही रही लेकिन बाद में भू प्रबंध विभाग ने उसे गलत रूप से पेटा तालाब के रूप में दर्ज किया है। जिसे दुरूस्त किये जाने की प्रार्थना की गई थी। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा जिला दौसा द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.01.2020 पारित कर निर्णय में अंकित किया कि अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 इस सीमा तक आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है कि हाल खसरा नम्बर 94 ग्राम रूडमल का बास तहसील दौसा बाबत तहसीलदार दौसा स्वयं जाकर मौका जांच करे कि मौके पर आराजी जलग्रहण क्षेत्र या बहाव क्षेत्र में नही है तथा राजस्व रिकार्ड में कभी भी किसी भी प्रकार की जलग्रहण/जल भराव की ईकाई नही रही है तथा मौके पर काश्त हो हररही है तो आराजी की किस्म गमानुसार बारानी द्वितीय अंकित करे प्रार्थी अपने कथित रकबा पूर्ति के लिये सक्षम न्यायालय में घोषणा दावा लाने के लिये स्वतंत्र है।

8. हम समक्षते है कि ग्राम रूडमल का बास तहसील दौसा जिला दौसा में स्थित कृषि भूमि गत खसरा नम्बर 4/21/4 रकबा 8 बीघा का आवंटन चन्द्रा पुत्र ग्यारसा जाति मीना को हुआ था एवं आवंटन के पश्चात चन्द्रा पुत्र ग्यारसा को गैर खातेदारी अधिकार प्रदतत किये गये। लेकिन भू प्रबंध कार्यवाही के दौरान चन्द्रा पुत्र ग्यारसा को आवंटन की गई कृषि भूमि खसरा नम्बर 4/21/4 रकबा 8 बीघा के नये खसरा नम्बर 94 रकबा 0.24 है0 व खसरा नम्बर 95 रकबा 0.01 है0 कुल रकबा 0.25 है0 कायम करते हुये 1.75 है0 भूमि कम कर दी गई जबकि चन्द्रा पुत्र ग्यारसा को आवंटन की गई भूमि 8 बीघा का रकबा 2.00 है0 कायम होना चाहिये था। तहसीलदार दौसा द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को भिजवाई गई तथ्यात्मक रिपोर्ट पत्रांक 8052 दिनांक 26.9.2016 में अंकित किया है कि "ग्राम रूढमल का बास में स्थित साबिक खसरा नम्बर 4/21/4 रकाब 8 बीघा चन्द्रा पुत्र ग्यारसा कौम मीना को दिनांक 13.11.1970 को आवंटित हुई थी जिसका गैर खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 92 स्वीकार हुआ है। भू प्रबंध विभाग द्वारा जारी पर्चा खतौनी संवत 2037 में खसरा नम्बर 94 रकबा 0.24 पेटा तालाबी, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.01 है0 (बारानी ।।।) दर्ज है। जबकि साबिक खसरा नम्बर 4/21/4 रकबा 8 बीघा किस्म (बारानी।।) चन्द्रा पुत्र ग्यारसा कौम मीना सा0 देह गैर खातेदारी संवत 2031–34 में दर्ज रिकार्ड था। साबिक खसरा नम्बर 4/21/4 रकबा 8 बीघा से भू प्रबंध कार्यवाहीयो के दौरान नवीन खसरा नम्बर 94 रकबा 0.24, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.01 है0 किता 02 रकबा 0.25 है0 बनाया गया है जो साबिक रकबे के मुकाबले 1.75 है0 कम बनाया गया है जबकि वर्तमान नक्शे में रकबा साबिक अनुसार ही है।" तहसीलदार दौसा ने भी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन किया है कि साबिक खसरा नम्बर 4/21/4 रकबा 8 बीघा से भू प्रबंध कार्यवाहीयो के दौरान नवीन खसरा नम्बर 94 रकबा 0.24, खसरा नम्बर 95 रकबा 0.01 है0 किता 02 रकबा 0.25 है0 बनाया गया है जो साबिक रकबे के मुकाबले 1.75 है0 कम बनाया गया है। हम समझते है कि रूढमल का बास का भू प्रबंध पूर्व चारागाह का रकबा 353 बीघा 17 बिस्वा था जिसे भू प्रबंध विभाग द्वारा भू प्रबंध के दौरान 100.37 है0 कर दिया जबकि लगभग 88.50 है0 होना चाहिये था। इस प्रकार लगभग 11.50 है0 जो लगभग 47 बीघा चारागाह में अधिक बढा दिया। बढा हुआ रकबा चारागाह भूमि में से कम कर अपीलांट की खातेदारी भूमि में शामिल किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खसरा नम्बर 4/21/4 वाके ग्राम रूडमल का बास के संबंध में वर्तमान राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार दौसा द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किये बिना एवं विधिक प्रकिया को पूर्ण किये बगैर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो बहाल रखे जाने योग्य नही है तथा प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

9. अतः परिणामतः अपील अपीलान्ट् स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.01.2020 को निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि वे रूढमल का बास का में स्थित चारागाह भूमि के बढाये गये रकबे में से कम करते हुये अपीलांटस के पक्ष में साबिक खसरा नम्बर 4/21/4 रकबा 8 बीघा तन ग्राम रूडमल का बास तहसील दौसा जिला दौसा के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में 2.00 है0 दुरूस्त किया जावे तथा साबिक खसरा नम्बर 4/21/4 के किस्म के अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड किस्म बारानी अंकित

Scanned by CamScanner

किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो

(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

10. निर्णय आज दिनांक 14.12.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner